



कार्यालय : 2678078

2672404

फैक्स : 0135-2672337

ई मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय 11- मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक..... 755 मु० अ० न० . निविदा 133
संशोधित नीलामी सूचना

दिनांक 25/6/18

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल निगम की ओर से इस कार्यालय के पत्रांक 645/मु0अनु0-निविदा/18, दिनांक 23.05.2018 के द्वारा आमंत्रित नीलामी केन्द्रीय भण्डार शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जोगीवाला, देहरादून में निम्नलिखित निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी "जैसा है जहाँ है" के आधार पर दिनांक 26.06.2018 को अपराह्न 3.00 बजे प्रस्तावित थी। उक्त में संशोधन करते हुये नीलामी हेतु दरें सीलबन्ध लिफाफे में दिनांक 10.07.2018 को सांय 05:00 बजे तक निम्न प्रारूप में मांगी जाती हैं। प्रारूप के साथ जमानती धनराशि ₹0 4000.00 का सी0डी0आर0/टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो अधिशासी अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के नाम बन्धक हो, जमा करनी होगी। नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस, कार्य समय पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाईट www.peyjal.uk.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

क्र०सं०	विवरण	स्थान जहाँ वाहन स्थित है	न्यूनतम विक्रय मूल्य (₹0 में)	कोटेशनदाता द्वारा दी गई दरें (₹0 में)
1	जिप्सी USY 0890	केन्द्रीय भण्डार शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जोगीवाला, देहरादून	40,000.00	
2	जिप्सी UP 07 5090		35,000.00	
3	जिप्सी USY 3363		20,000.00	
4	एम्बेस्डर कार UAW 4196		10,000.00	

नियम एवं शर्तें :-

1. उक्त प्राप्त कोटेशन दिनांक 11.07.2018 को 11:00 बजे प्रधान कार्यालय में खोली जायेगी। बिना जमानती धनराशि के साथ दी गयी कोटेशन स्वीकार नहीं होगी।
2. उच्चतम दरों हेतु प्राप्त कोटेशनदाता को सूचित होने पर कोटेशन की 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा करनी होगी एवं शेष धनराशि 7 दिन के अन्तर्गत उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों को उताने से पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा जमानती धनराशि एवं 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों हेतु न्यूनतम विक्रय मूल्य उपरोक्तानुसार तालिका में अंकित किया गया है, उक्त से कम मूल्य पर वाहन विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
4. निष्प्रयोजित वाहनों को हटाने का कार्य (डुलान) में आने वाला व्यय कोटेशनदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
5. इच्छुक कोटेशनदाता सम्बन्धित वाहन को उपरोक्त विवरण के अनुसार उसके सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक देख सकते हैं एवं इस हेतु इं0 लिपिका कवि, सहायक अभियन्ता (मो0 नं0 9760734857) से सम्पर्क किया जा सकता है।
6. बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन या समस्त कोटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
7. बिना धरोहर धनराशि के किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।

Sunjan Singh Malwa
upload it on department website
Libika
25/06/2018

M. Singh
25/06/18
(ओ0पी0 सिंह)

अधिशासी अभियन्ता (मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (मु0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, यान्त्रिक मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. इं0 सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता, यान्त्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. इं0 लिपिका कवि, सहायक अभियन्ता, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को उक्त कोटेशन विभागीय वेबसाईट www.peyjal.uk.gov.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
6. श्री श्रीचन्द्र आर्या, कार्यवाहक मण्डलीय लेखाकार, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. नोटिस बोर्ड।
8. देहरादून स्थित समस्त वाहनों के गैराज/कार्यशालाओं को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अधिशासी अभियन्ता (मु0)